संख्या 8632   पत्रावली संख्या 1-174988   दिनांक 11/11/2014

सोसाइटी – रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण – पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

संख्या 1720-2014-2015

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि हरि चन्द्रा महाविद्यालय समिति

हडेला फार्म (अलीगंज) पोस्ट अलीगंज थाना तहसील गोला गोकरण थाना,

जिला–लखीमपुर खीरी।

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम , 1860 ई0 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

यह प्रमाण–पत्र 09/11/2019 तक विधिमान्य होगा ।

आज दिनांक 10/11/2014 को मेरे हस्ताक्षर र

सोसाइटी के रजि
उत्तर प्रदेश

प्राचार्य
हरि चन्द्रा महाविद्यालय
हण्डेला, गोला रोड
अलीगंज–खीरी

नियमावली

१. संस्था का नाम : हरि चन्द्रा महाविद्यालय समिति।

२. संस्था का पूरा पता: हंडेला फार्म (अलीगंज) पोस्ट अलीगंज थाना तहसील गोला गोकरण नाथ जिला लखीमपुर खीरी।

३. संस्था का कार्यक्षेत्र: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

४. संस्था की सदस्यता एवं वर्ग

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 51000/– रू. एक बार में या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में निःस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होगे ।

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखतें होंगे या संस्था के विकास हेतु 101/– रू. वार्षिक सदस्यता शुल्क चन्दा स्वरूप निःस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे ।

५. सदस्यता की समाप्ति : १. मृत्यु हो जाने पर ।
२. पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
३. संस्था के विपरीत हानिकर कार्य करने पर ।
४. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर
५. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।
६. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ।
७. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंण्डित होने पर

६. संस्था के अंग : अ.साधारण सभा
ब. प्रबन्धकारिणी समिति

७. साधारण सभा गठन : साधारण सभा का गठन आजीवन एवं सामान्य सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा ।

बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है

सूचना अवधि : साधरण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी

गणपूर्ति : साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय किया जायेगा ।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

१. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना

प्राचार्य
हरि चन्द्रा महाविद्यालय
हण्डेला, गोला रोड
अलीगंज–खीरी

२. संस्था का वार्षिक बजट पास करना ।
३. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।
४. संस्था के नियमों एवं विनियमों में 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन करना ।

८. प्रबन्धकारिणी समिति :

गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष–एक, उपाध्यक्ष–एक, प्रबन्धक–एक, कोषाध्यक्ष–एक एंव सदस्य–3 होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 7 होगी जो आवश्यकतानुसार बढाई या घटाई भी जा सकती है एवं पदो का सजृन एवं समाप्त भी किया जा सकेगा।

बैठक : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप/संचार माध्यम से सूचना भी दी जायेगी।

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :

१. संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना।
२. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
३. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना ।
४. समाज कल्याण विभाग उ०प्र० तथा केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, भारत सरकार खेलकूद मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय,विकलांग निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार, अवार्ड, डी०आर०डी०ए०, एच०आर०डी०ए०, नाबार्ड,आक्सकेम इण्डिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आर०सी०एच०, स्वास्थ्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, यूनीसेफ, सिडबी पर्यावरण मन्त्रालय,स्वास्थ्य विभाग/स्वास्थ्य मंत्रालय,विकलांग विभाग/महिला कल्याण निगम, महिला कलयाण बोर्ड, राजीव गॉधी फाउन्डेशन उ०प्र०, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, हथकरधा मंत्रालय, सांस्कृतिक

प्राचार्य
हरि चन्द्रा महाविद्यालय
इण्डेला, गोला रोड
लखीमपुर–खीरी

विभाग, शिक्षा विभाग,पशु मंत्रालय, विश्व बैक,यू०पी०डी०ए० एस० पी०,डवाकरा,सैफ इण्डिया, महिला कल्याण बोर्ड/आयोग/कमीशन, सूडा, डूडा,बैकों वित्तीय निगमों, राष्ट्रीय एंव वित्तीय संस्थाओं एंव खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग/कमीशन/ दानशील व्यक्तियों,विधायक निधि,सांसद निधि, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अल्पसख्यक विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, निदेशालय, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, समाज सेवी संस्थाओं से दान अनुदान व चन्दा, ऋण प्राप्त करके उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना।

५. उपसमितियों का गठन करना तथा उपसमिति के लिए कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्त करना नियमानुसार प्रबंधसमितियों का अनुमोदन करना।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल होगा।

६. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

अध्यक्ष

सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
बैठकों के लिये दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तन करना व बैठकों को स्थगित करना।
बैठकों के लिए तिथि का निर्धारण करना।
कार्यक्रमों की व्यवस्था तथा संचालन करना और करवाना।
समिति पर नियंत्रण रखना तथा सदस्यता हेतु आवेदन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना व करवाना।

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सौपे कार्य समिति के हित में कार्य करना।

प्रबन्धक

समिति की चल अचल सम्पतित को क्रय एंव विक्रय करना तथा हस्तांतरित करना।
चेक, डिमान्ड ड्राफ्टों, बिल, बाउचरों, आहरण पत्रों, ऋण पत्रों, इत्यादि पर हस्ताक्षर करना ।
सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना एंव अन्तिम निर्णय देना।
संस्था में वर्तनिक कर्मचारियो की नियुक्ति एंव निष्कासन का कार्य करना ।
सदस्यता फर्म जारी करना तथा सदस्यता प्राप्त हेतु लिखित स्वीकृत प्रदान करने के उपरान्त ही सदस्यता शुल्क जमा किया जाएगा जिसमें प्रबन्धकारिणी समिति का 2/3 बहुमत भी आवश्यक होगा।
संस्था के हित में किसी संस्थान व्यक्ति अथवा समूह के साथ आवश्यक समझौता एंव अनुबन्ध करना।
सदस्यों को सदस्यता स्वीकृति के लिए अनुमो

प्राचार्य
हरि चन्द्रा महाविद्यालय
हण्डेला, गोला रोड
अलीगंज–खीरी

समिति की चल अचल सम्पत्ति की देख भाल एंव स्थानान्तरण खरीद करना बैक में बन्धक रखकर ऋण प्राप्त करना।
संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
संस्था के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को लेना तथा सभी महत्वपूर्ण निर्णय सुनाना संस्था के किसी भी पदाधिकारी एंव सदस्यों को नियुक्त एंव निष्कासन करना।

कोषाध्यक्ष : समिति के समस्त लेखो विलेखों को तैयार करना।
आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना।
प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
सदस्यो से सदस्यता शुल्क प्राप्त करना सदस्यता रसीद प्रदान करना।

१०. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

: संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परितर्वन या परिवर्धन सम्बन्धी कार्यवाही साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा।

११. संस्था का कोष : संस्था का समस्त कोष किसी भी स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक/प्राइवेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक/अन्य किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक एंव कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा ।

१२. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण आडिट) :

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा ।

१३. संस्था के द्वारा या उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही से संचालन का उतरदायित्वः

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष एंव प्रबन्धक पर होगा या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति पर क्षेत्र क्षेत्रीय न्यायालय होगा।

१४. संस्था के अभिलेख : सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर कैश बुक, आदि ।

१५. विघटन : संस्था का विघटन तथा विघटित सम्पत्ति की कार्यवाही सोसाइटीज् रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

(सत्य प्रतिलिपि)

::हस्ताक्षर::

दिनांक

प्राचार्य
हरि चन्द्रा महाविद्यालय
हण्डेला, गोला रोड
अलीगंज–खीरी

स्मृति–पत्र

१. संस्था का नाम : हरि चन्द्रा महाविद्यालय समिति।

२. संस्था का पूरा पता : हंडेला फार्म (अलीगंज) पोस्ट अलीगंज थाना तहसील गोला गोकरण नाथ जिला लखीमपुर खीरी।

३. संस्था का कार्यक्षेत्र: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

४. संस्था के उद्देश्य :

१. जनहित में लोगों का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शारीरिक, शैक्षिक व बौद्धिक विकास करना।

२. बालक / बालिकाओ के शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों / शिक्षण केन्द्रों / शिक्षण संस्थानों / विद्यालयों / महाविद्यालय / आवासीय विद्यालयों की निःशुल्क स्थापना करना जिसमे प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करना शासन की नीति के अनुसार अनुमोदित पाठयक्रमानुसार अध्ययन अध्यापन की श्रेष्ठतम व्यवस्था करना एवं प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवम् स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने हतु व्यवसायिक एवम् तकनीकी शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करना।

३. तकनीकी शिक्षा, वोकेशनल प्रोफेशनल, आवासीय छात्रावासों की सरकार की योजना के तहत व्यवस्था करना के लिए निःशुल्क शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना व राज्य एंव केन्द्र सरकार के मानकों के अनुसार संचालित करना व करवाना।

४. पुस्तकालय एवं वाचनालय, छात्रावास , हॉस्टल की निःशुल्क स्थापना करना तथा विकास का मार्ग प्रशस्त करना समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम विचार गोष्ठी सेमिनार, महिला सम्मेलन, बाल सम्मेलन, जनहित सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर ज्ञानर्वधक मनोरंजन कार्यक्रमों आदि का निःशुल्क आयोजन करना।

५. सभी जातियों एंव समुदाय और अनुसूचित जाति पिछड़ावर्ग अल्पसंख्यक, गरीब, महिलाओं एंव बालक–बालिकाओं तथा सामान्य वर्ग के लिए सिलाई, कढाई, बुनाई, ब्यूटीपार्लर, फैशनडिजाइनिंग, रेडीमेड गारमेन्टस, हथकरधा, टाटपट्टी कालीन, बुनाई फाइवर ग्लास, हस्तशिल्प कला, जूट उद्योग, दस्तकारी बढईगीरी माचिस साबुन, अगरबत्ती, मोमबत्ती फलसंरक्षण पापड़ चिप्स बेकरी,कुकरी कुम्हारी पशुपालन मिल्क एण्ड डेरी प्रोडक्टस आयल, सीड, मुर्गीपालन भेडपालन मत्स्य पालन इत्यादि ग्रामोद्योग का प्रशिक्षण दिलाकर उसमें स्वावलम्बन की भावना जागृत करना एंव अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को निःशुल्क संचालित करना।

६. शैक्षिक विकास हेतु बालवाड़ी ऑगनबाड़ी महिला शिल्प कला केन्द्र, सिलाई कढ़ाई बुनाई प्रशिक्षण, टाईप,शार्टहैण्ड, फलसंरक्षण, कम्प्यूटर शिक्षा हेतु साफ्टवेयर / हार्डवेयर का प्रशिक्षण दिलाने की निःशुल्क व्यवस्था करना शासन की पूर्व अनुमति के पश्चात्

७. पुस्तकालय एंव वाचनालय, छात्रावास, हॉस्टल की स्थापना करना तथा विकास का मार्ग प्रशस्त करना।

प्रति प्रतिलिपि

सहायक
मान्यता चिट्स रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
लखनऊ

प्राचार्य
हरि चन्द्रा महाविद्यालय
हण्डेला, गोला रोड
अलीगंज–खीरी

५. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद, व्यवसाय जिनकों संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौपा गया है :–

क्र	नाम	पता	पद	व्यवसाय
१.	श्री शिवनन्दन प्रसाद पुत्र श्री मातादीन वर्मा	ग्राम कालीचरनपुर पोस्ट व तहसील थाना गोला गोकरण नाथ जिला लखीमपुर खीरी	अध्यक्ष	समाज सेवा
२.	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री हरिनन्दन प्रसाद	ग्राम कालीचरनपुर पोस्ट व तहसील थाना गोला गोकरण नाथ जिला लखीमपुर खीरी	उपाध्यक्ष	कृषि
३.	श्री संजीव कुमार वर्मा पुत्र श्री हरिनन्दन प्रसाद	ग्राम कालीचरनपुर पोस्ट व तहसील थाना गोला गोकरण नाथ जिला लखीमपुर खीरी	प्रबन्धक	समाज सेवा
४.	श्री राजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री हरिनन्दन प्रसाद	ग्राम कालीचरनपुर पोस्ट व तहसील थाना गोला गोकरण नाथ जिला लखीमपुर खीरी	कोषाध्यक्ष	समाज सेवा
५	श्री यदुनन्दन प्रसाद पुत्र श्री मातादीन	ग्राम कालीचरनपुर पोस्ट व तहसील थाना गोला गोकरण नाथ जिला लखीमपुर खीरी	सदस्य	समाज सेवा
६.	श्री गौरवा कुमार वर्मा पुत्र श्री शिवनन्दन वर्मा	ग्राम कालीचरनपुर पोस्ट व तहसील थाना गोला गोकरण नाथ जिला लखीमपुर खीरी	सदस्य	समाज सेवा
७.	श्री अनुराग वर्मा पुत्र श्री मनोज कुमार	ग्राम कालीचरनपुर पोस्ट व तहसील थाना गोला गोकरण नाथ जिला लखीमपुर खीरी	सदस्य	समाज सेवा

६ "हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति–पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६० के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है" ।

दिनांक :– 10/11/15 .... सभी लोगों के हस्ताक्षर :–

प्राचार्य
हरि चन्द्रा महाविद्यालय
इण्डेला, गोला रोड
अलीगंज–खीरी